न्यायालय सहायक कलेक्टर/... शीर्षक ....

प्रकरण : संख्या - 143/2023

कार्यवाही प्रकरण

दिनांक	
10-3-2025	पत्रा. पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी 2 से 5 के सम्मन बाद तामील प्राप्त होने से शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण की ओर से पैरवी हेतु कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। न्यायहित में जवाब हेतु एक अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 6/5/25 को वास्ते कार्यवाही पेश हो। M/
6/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 5 की ओर से बावजूद तामील कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। मूल वाद में विपक्षी / प्रतिवादी 1 से 5 के विरुद्ध अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की जाने से इस प्रकरण में भी विपक्षी 1 से 5 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।
	प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि में से आराजी संख्या 876 में विपक्षी संख्या-1 बिना विभाजन के निर्माण कार्य करवाने पर आमादा है जिसे जरिये निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है साथ ही अन्य वादग्रस्त भूमि को भी मनमर्जी से भाग पर कब्जा एवं निर्माण कर अन्य अजनबी व्यक्ति को विक्रय करने आमादा है जिससे विभाजन की अंतिम डिक्री पारित होने तक विपक्षी संख्या-1 को जरिये निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी-1 के विरुद्ध अस्थाई

ा सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

ा – शीर्षक.................................... बनाम..

कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
निषेधाज्ञा ता फैसला मूल वाद (FD जारी जारी होने तक) जारी की जावे। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में 1/6 हिस्से का खातेदार होकर भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी की शामिल भूमि है। मूल वाद को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी करदी गई है। बगैर विभाजन किसी भी पक्षकार द्वारा स्थाई निर्माण किया जाना विधि विरुद्ध है जिससे न्यायालय का मत है कि प्रकरण में प्रथम दृष्टया, सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गई है एवं प्रकरण में अन्तिम डिक्री पारित होने तक विपक्षी संख्या-1 को रोका जाकर जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः विपक्षी संख्या-1 के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाती है कि ग्राम सापोल की वादग्रस्त भूमि आराजी संख्या-628, 629, 632, 640, 853, 854, 855, 856, 870, 871, 872, 873, 874, 878, 876, 930, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950 कुल किता-31 कुल रकबा 7-3572 हैक्टेयर में मूल वाद प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी होने तक मौके एवं रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखे। पत्रा फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो।	